



क्रमांक / RALVV- 848 / कु.स. / 2025

सागर, दिनांक: 31-10-25

प्रति,

प्राचार्य (समस्त)

शासकीय / अशासकीय / अनुदान प्राप्त संबद्ध महाविद्यालय

रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र

जिला सागर एवं दमोह (म.प्र.)

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु नवीन अध्यादेश 14 (1) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु नवीन अध्यादेश 14 (2) सत्र, 2025-26 से लागू किये जाने के संबंध में।

- संदर्भ :- 1. म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 661/81/सी.सी./24/38 भोपाल दिनांक 10/09/2024.
2. म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. I/240916/2025/162/CC/2024/38-Part (1), भोपाल दिनांक 23/04/2025.

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है, कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्रों के अनुपालन में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर द्वारा शैक्षणिक सत्र, 2025-26 से स्नातक पाठ्यक्रम हेतु नवीन अध्यादेश 14 (1) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु नवीन अध्यादेश 14 (2) प्रभावशील किया गया है।

कृपया तदनुसार आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।

(डॉ. शक्ति जैन)

कुलसचिव,

रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय

सागर (म.प्र.)

क्रमांक / RALVV- 849 / कु.स. / 2025

सागर, दिनांक: 31-10-25

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

01. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलगुरु जी की ओर सूचनार्थ।
02. परीक्षा नियंत्रक, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर(म.प्र.)।
03. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/एकेडमिक/परीक्षा/गोपनीय), रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर(म.प्र.)।
04. मूल नस्ती हेतु।

(राकेश कुमार चढ़ार)

सहायक कुलसचिव,

रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)